प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) का वर्ष 2007–12 की अवधि का प्रतिवेदन जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेग्स) की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं, को संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कियान्वयन की लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से लेने का अनुरोध किया था। तदनुसार ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी), उत्तर प्रदेश सरकार, नमूना स्वरूप चुने गये 18 जिलों, 46 ब्लाकों, 460 ग्राम पंचायतों एवं प्रत्येक चयनित जिलों से सम्बन्धित दो लाइन विभागों के अभिलेखों की जांच के माध्यम से निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दिसम्बर 2005 में शुरू की गयी एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिये 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना था।

लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये ऑडिटिंग स्टैन्डर्ड जो सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के ऑडिटिंग स्टैन्डर्ड पर आधारित है, के अनुरूप की गयी।

प्रतिवेदन दिनांक 28.09.2012 को आरडीडी को अग्रेषित की गयी। विभाग का आंशिक उत्तर दिनांक 04.01.2013 को प्राप्त हुआ। अग्रेतर, दिनांक 12.01.2013 को राज्य सरकार के साथ समापन बैठक आयोजित किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों को ध्यान में रखा गया एवं प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित किया गया।